रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 270] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 2018/आषाढ़ 27, 1940
No. 270] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 2018/ASHADHA 27, 1940

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

(प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2018

फा. सं. टीडीबी/64/2017/आर आर/एडमिन.—प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 (1995 का 44) के अनुच्छेद (4) के उप-अनुच्छेद (2) के साथ पठित अनुच्छेद 22 के उप-अनुच्छेद (2) के उप-अनुच्छेद (1) और धारा (ए) द्वारा संदर्भित शक्तियों के प्रत्यायोजन में, केन्द्र सरकार के अनुमोदन के साथ, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (सचिव एंव कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) विनियम, 2002 में निम्नलिखित विनियमों में संशोधन करता हैः

1. (1) ये विनियम प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (सचिव एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें) संशोधन विनियम, 2018 कहलायेंगे।

   (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू हो जायेंगे।

2. प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (सचिव एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें) विनियम, 2002 (यहाँ उल्लेखित विनियमों के रूप में संदर्भित) में कॉलम (11) एवं (12) के 6 (अनुसूची-II) के विनियम के लिए निम्नलिखित पदों हेतु, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगाः

पद का नाम	कॉलम (11)	कॉलम (12)
निदेशक/उप सचिव	प्रतिनियुक्ति (लघु अवधिअनुबंध/विलीनीकरण सहित)	प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि अनुबंध/विलीनीकरण सहित) निदेशक हेतुः समकक्ष पद के अधिकारी अथवा वे अधिकारी जो वेतन मेट्रिक्स के वेतन स्तर (7 वें केंद्रीय वेतन आयोग अथवा समान वेतन मान/ग्रेड) के पद पर कार्यरत हों। उनके पास केंद्रीयसरकार/राज्य सरकार/स्वायत्तशासी अथवा सांविधिक संगठन/सरकारी उपक्रमों/

		विश्वविद्यालयों में कम से कम 05 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। उप सचिव हेतुः समकक्ष पद के अधिकारी अथव वे अधिकारी जिनके पास वेतन मेट्रिक्स के ।। वें स्तर (7 वें केंद्रीय वेतन आयोग अथवा समान वेतनमान/ग्रेड) में केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्तशासी या सांविधिक संगठनों/सरकारी उपक्रमों/विश्वविद्यालयों में कार्य का कम से कम 05 वर्षों का अनुभव हो। उन्हें वित्त, लेखा एवं प्रशासन के क्षेत्र में कार्य का अनुभव होना चाहिए।
विधि सलाहकार	प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि अनुबंध/विलीनीकरण सहित)	प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि अनुबंध/विलीनीकरण सहित) समकक्ष पद पर कार्यरत विधि अधिकारी अथवा वेतन मैट्रिक्स में 11वें स्तर के पद पर कार्यरत अधिकारी (7 वें केंद्रीय वेतन आयोग अथवा समान वेतनमान/ग्रेड) जिन्हें केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्तशासी अथवा सांविधिक संगठनों/सरकारी उपक्रमों/विश्वविद्यालयों में कम से कम 05 वर्ष का कार्य अनुभव हो।
अनुभाग अधिकारी	प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि अनुबंध/विलीनीकरण सहित)	प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि अनुबंध/विलीनीकरण सहित) समकक्ष पद के अधिकारी अथवा वेतन मेट्रिक्स के 7 वें वेतन स्तर (7 वें केंद्रीय वेतन आयोग अथवा समान वेतनमान/ग्रेड) के अधिकारी जिनके पास केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्तशासी/सांविधिक संगठनो/ सरकारी उपक्रमों/विश्वविद्यालयों में कम से कम 02 वर्ष कार्य का अनुभव हो।

डॉ. बिन्दु डे, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./146/18]

नोट : मुख्य नियमों को 06 नवम्बर, 2002 की अधिसूचना सं. टीडीबी/एडमिन/(7)(30/02-03) द्वारा भारतीय राजपत्र में भारतीय प्रौद्योगिकी बोर्ड अधिनियम 1995 (1995 का 44) के अनुच्छेद (4) के साथ पठित अनुच्छेद 22 के उप-अनुच्छेद (2) के उप-अनुच्छेद (1) और धारा (ए) की धारा 22 के साथ पठित अनुच्छेद (4) की उपधारा (2) में प्रकाशित किया गया ।

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

(TECHNOLOGY DEVELOPMENT BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2018

F. No. TDB/64/2017/RR/Admin.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) and Clause (a) of Sub-section (2) of Section 22 read with Sub-section (2) of Section (4) of Technology Development Board Act, 1995 (44 of 1995), the Technology Development Board, with the approval of the Central Government, hereby makes the following Regulations to amend the Technology Development Board (Terms & Conditions of Service of the Secretary and Employees) Regulations, 2002, namely –

1. (1) These Regulations may be called the Technology Development Board (Terms & Conditions of service of the Secretary and Employees) Amendment Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Technology Development Board (Terms and Conditions of Service of the Secretary and Employees) Regulations, 2002 (hereinafter referred to as the said regulations), for regulation 6 (Schedule II) against column (11) and (12) for following posts, the following shall be substituted, namely: -

Name of the Post	**Column (11)**	**Column (12)**
Director/Deputy Secretary	"Deputation (including short term contract)/ Absorption."	"Deputation (including short term contract)/ Absorption." For Director: Officers holding analogous post or holding post in the pay level 12 of pay matrix (7th Central Pay Commission or equivalent pay scale/grade) with minimum 05 years' experience on regular basis in Central Government/State Government/Autonomous or Statutory organization/PSUs/Universities. For Deputy Secretary: Officers holding analogous post or post in the pay level 11 of pay matrix (7th Central Pay Commission or equivalent pay scale/grade) with minimum 05 years' experience on regular basis in Central Government/State Government/Autonomous or Statutory organization / PSUs /Universities. Having experience in field of Finance, Accounts and Administration.
Deputy Legal Advisor	"Deputation (including short term contract)/ Absorption."	"Deputation (including short term contract)/ Absorption." Legal Officers holding analogous post or post in the pay level 11 of pay matrix (7th Central Pay Commission or equivalent pay scale/grade) with minimum 05 years' experience on regular basis in Central Government/ State Government/Autonomous or Statutory organization/PSUs/Universities.
Section Officer	"Deputation (including short term contract)/ Absorption."	"Deputation (including short term contract)/ Absorption." Officers holding analogous post or post in the pay level 7 of pay matrix (7th Central Pay Commission or equivalent pay scale/grade) with minimum 02 years' experience on regular basis in Central Government/ State Government/Autonomous or Statutory organization/PSUs / Universities.

Dr. BINDU DEY, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./146/18]

Note : The principal rules were published vide notification number No TDB/Admin 1(7)(30/02-03, dated 6th November, 2002 in the Gazette of India, Sub-Section (1) and Clause (a) of Sub-section (2) of Section 22 read with Sub-section (2) of Section (4) of Technology Development Board Act, 1995 (44 of 1995).

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.07.23 16:16:27 +05'30'